

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel:-Fax-07432-232239, E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक () एफ/एफसीए/उर्वस/2018-19/5729

दिनांक :- 30/4/18

निमित्त:

अधिराषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड- झालावाड़।

रविवर कोलाना हवाई पट्टी के विकास एवं विस्तार के अन्तर्गत आई 120.40 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
स्वीकृति प्रो. 4/4/18

विषय :- कोलाना हवाई पट्टी के विकास एवं विस्तार के अन्तर्गत आई 120.40 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोलाना हवाई पट्टी के विकास एवं विस्तार के अन्तर्गत आई 120.40 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या F-No 8-55/2017-FC दिनांक 13.04.2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में डिमांड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 13.04.2018 आईटम नम्बर	मद	राशि	पूर्व में जमा	देय राशि
1	ii	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि 120.4062 हैक्टर / 155000 = 18662961	18662961	1254532	17408429
2	iii	दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि 9.71 हैक्टर @ 129000 = 1252590	1252590		1252590
3	iv	25 प्रतिशत संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि (सीए की राशि (क.सं. 1), पेनल सीए की राशि (क.सं. 2) का 25 प्रतिशत) 18662961 + 1252590 X 25 % = 5042003	4978887.75		4978887.75
4	vii	वन संरक्षण अधिनियम 1980 उल्लंघन वायव्य दण्डात्मक राशि 30392300 (9.71 X एनपीवी राशि X 5) + 36470760 {12% साधारण व्याज 10 वर्षों के लिए (जांच अधिकारी द्वारा उल्लंघन की रिपोर्ट 14.06.2008 को करने से)} = कुल राशि 66863060 x 20 %	13372612		13372612
5	xv	एनपीवी की राशि 120.4062 हैक्टर @ 626000 = 75374281.2	75374281.2	8933200	66441081.2
		कुल राशि	113641332	10187732	103453600

उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आईटम नम्बर के अतिरिक्त अन्य की अनुसूची प्रस्तुत करें।

कार्यालय अधि. अभि. 1967, खण्ड झालावाड़

पद :

दिनांक :

R.C. O.A. D.A.O. T.A. E.E.

(रामचन्द्र सिंह ओगरा)

उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक :-

क्रमांक () एफ/एफसीए/उर्वस/2018-19/

प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफसीए) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़